दूरभाष : 2569696 } PBX

जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

क्रमांक ज.वि.प्रा. / स.स. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2015 / डी-509

दिनांक 04/3/2015

श्री महेश गुप्ता श्रीमती निशा गुप्ता,
श्री संत कृष्णा स्वामी श्री चन्द गुप्ता,
श्री अनुराग मोदी एवं श्री आशीष मोदी,
फ्लैट संख्या 301, कोरल एन्कलेव, प्लॉट न. 23,
स्कीम नं. 8, महादेव नगर, वैशाली नगर, जयपुर।

विषय :- पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 41, 42, 43, एवं भूखण्ड संख्या 46, 47, योजना स्कीम नम्बर 8, (महाराजा गोपालपुरा गृ.नि.स.स.लि.), जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

संदर्भ:- आपका नागरिक सेवा केन्द्र पंजीयन क्रमांक 208384 दिनांक 02.02.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 170वीं बैठक दिनांक 13.02.2015 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार आप निम्न कार्यवाही करें :-

1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आप जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगें।
2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं आप व आपके वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
3. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त कृपया निम्न प्रकार राशि प्राधिकरण परिसर स्थित बैंक में जमा करवाकर चालान की प्रति प्रस्तुत करें जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

1.	भवन अनुज्ञा शुल्क	रू0	3,72,548 / -
2.	मलबा धरोहर राशि	रू0	10,000 / -
3	अमानत राशि	रू0	5,00,000 / -
4.	अतिरिक्त एफ.ए.आर. शुल्क का 75 प्रतिशत	रू0	16,54,494 / -
5.	वर्षा जल संग्रहण हेतु अमानत राशि	रू0	1,00,000 / -
6.	शेल्टर फण्ड मय अतिरिक्त एफ.ए.आर. शुल्क का 25 प्रतिशत	रू0	6,26,008 / -
7.	अग्निशमन की सुविधा / सुदृढीकरण हेतु देय राशि	रू0	3,55,030 / -
	कुल राशि (लेने योग्य)	रू0	36,18,080 / -

नोट:-

1. बैठक तिथि से दो माह के भीतर मांग राशि जमा नहीं करवाने पर मानचित्र निरस्त कर दिये जावेगें तथा प्रकरण में पुनः छः माह के भीतर आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. **भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के पक्ष में (श्रमिक कल्याण उपकर 16000 / - रूपये प्रति वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्र का एक प्रतिशत) निर्माण सीमा 3 वर्ष मानते हुए प्रथम वर्ष हेतु रूपये 3,97,384 / - का डी.डी. एवं द्वितीय वर्ष हेतु रूपये 3,97,384 / - का माह मार्च 2016 एवं तृतीय वर्ष हेतु रूपये 3,97,384 / - का माह मार्च 2017 का अग्रिम चैक प्रस्तुत करें।**

भवदीय

(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा / उपा / जोन–7 / 2015 / डी– 293 दिनांक :– 20.1.15

श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री बालकिशन दास गुप्ता,
श्रीमती निशा गुप्ता पत्नी श्री महेश गुप्ता,
श्री संत कृष्णा स्वामी पुत्र श्री राधा मोहन मिश्रा,
श्री चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री बाल किशन गुप्ता,
श्री अनुराग मोदी पुत्र श्री विशम्भर मोदी एवं
श्री आशीष मोदी पुत्र श्री विशम्भर मोदी,
फ्लेट सं. 301, कौरल एन्क्लेव, प्लॉट नं. 23,
स्कीम नं. 8, महादेव नगर, वैशाली नगर, जयपुर।

(संशोधन पत्र)

विषय :– पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 41, 42, 43 एवं भूखण्ड संख्या 46 व 47 योजना स्कीम नं. 8 (महाराजा गोपालपुरा गृ. नि. स. स. लि.) के पुनर्गठन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 41, 42, 43 क्षेत्रफल 1011.39 वर्ग गज एवं भूखण्ड संख्या 46 व 47 क्षेत्रफल प्रत्येक 440 वर्गगज कुल क्षेत्रफल 1891.39 वर्ग गज योजना स्कीम नं. 8 (महाराजा गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि.) के पुनर्गठन बाबत् प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक डी–234 दिनांक 16.01.2015 से पुनर्गठन पत्र जारी किया गया था। सहवन से उक्त पुनर्गठन पत्र में आवेदक श्री अनुराग मोदी पुत्र श्री विशम्भर मोदी एवं श्री आशीष मोदी पुत्र श्री विशम्भर मोदी का नाम अंकित किये जाने से शेष रह गये थे।

अतः इस संशोधन पत्र के जरिये आवेदकगण के नाम में संशोधन करते हुए पूर्व में जारी पुनर्गठन पत्र में आवेदकगण श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री बालकिशन दास गुप्ता, श्रीमती निशा गुप्ता पत्नी श्री महेश गुप्ता, श्री संत कृष्णा स्वामी पुत्र श्री राधा मोहन मिश्रा, श्री चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री बाल किशन गुप्ता के साथ–साथ आवेदकगण श्री अनुराग मोदी पुत्र श्री विशम्भर मोदी एवं श्री आशीष मोदी पुत्र श्री विशम्भर मोदी का नाम भी पढ़ा जावे।

भवदीय,

(सुखबीर सैनी)
उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

D/Ramesh/letter

कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन–7/2015/डी–234 दिनांक :– 16/1/15

श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री बालकिशन दास गुप्ता,
श्रीमती निशा गुप्ता पत्नी श्री महेश गुप्ता,
श्री संत कृष्णा स्वामी पुत्र श्री राधा मोहन मिश्रा एवं
श्री चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री बाल किशन गुप्ता,
फ्लेट सं. 301, कोरल एन्क्लेव, प्लॉट नं. 23,
स्कीम नं. 8, महादेव नगर, वैशाली नगर, जयपुर।

विषय :– पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 41, 42, 43 एवं भूखण्ड संख्या 46 व 47 योजना स्कीम नं. 8 (महाराजा गोपालपुरा गृ. नि. स. स. लि.) के पुनर्गठन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 41, 42, 43 क्षेत्रफल 1011.39 वर्ग गज एवं भूखण्ड संख्या 46 व 47 क्षेत्रफल प्रत्येक 440 वर्गगज कुल क्षेत्रफल 1891.39 वर्ग गज योजना स्कीम नं. 8 (महाराजा गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि.) के पुनर्गठन बाबत् प्रस्तुत आवेदन पत्र का परीक्षण कराया गया है।

उक्त भूखण्डों के पुनर्गठन हेतु जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 20.06.2014 में लिये गये निर्णय एवं बीपीसी (एलपी) की 218 वीं बैठक दिनांक 07.08.2014 में लिये गये निर्णय एवं राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 23.12.2014 के अनुसार पुनर्गठत भूखण्ड संख्या 41, 42, 43 क्षेत्रफल 1011.39 वर्ग गज एवं भूखण्ड संख्या 46 व 47 क्षेत्रफल प्रत्येक 440 वर्गगज कुल क्षेत्रफल 1891.39 वर्ग गज योजना स्कीम नं. 8 का निम्न शर्तों पर पुनर्गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. पुनर्गठित भूखण्ड का मुख्य प्रवेश व निकास मार्ग 60 फीट चौड़ी सड़क की ओर रखा जावेगा।
2. आवश्यक पार्किंग की पूर्ति नियमानुसार भूखण्ड के अन्दर ही सुनिश्चित की जावेगी।
3. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रस्तावानुसार अग्र सैटबेक 12 मीटर (60 फीट सड़क की ओर) व अन्य सैटबेक 6 मीटर रखे जावे व अन्य मानदण्ड जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 (संशोधित 2012–13) के अनुसार रखे जावेंगे।

इस सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि पुनर्गठित भूखण्ड पर जयपुर विकास प्राधिकरण भवन विनिमय के अनुसार मानचित्र अनुमोदन कराया जाकर ही आवासीय निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा व आवसीय प्रयोजनार्थ के अतिरिक्त अन्य उपयोग नहीं किया जायेगा।

संलग्न :– पुनर्गठित स्थल मानचित्र की दो प्रतियां।

भवदीय,

(सुखवीर सैनी)
उपायुक्त जोन–7

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

RECONSTITUTE SITE PLAN OF PLOTE NO. 41,42,43,46,47,IN SCHEME NO. 8 OF MAHARAJA GOPAL PURA GNSS.

PLOTE AREA=1891.39 SQ YAD(1581.87SQ M.)

PERCENTAGE OF CONST-AREA ,WITH IN SET BACKS.

FAR.1.33 STANDERED, 2.25 MAX.

HEIGHT AS PER BY LAWS 2010 REVISED 2012-2013 POINT NO.8.11

SCALE- 1" = 40 '

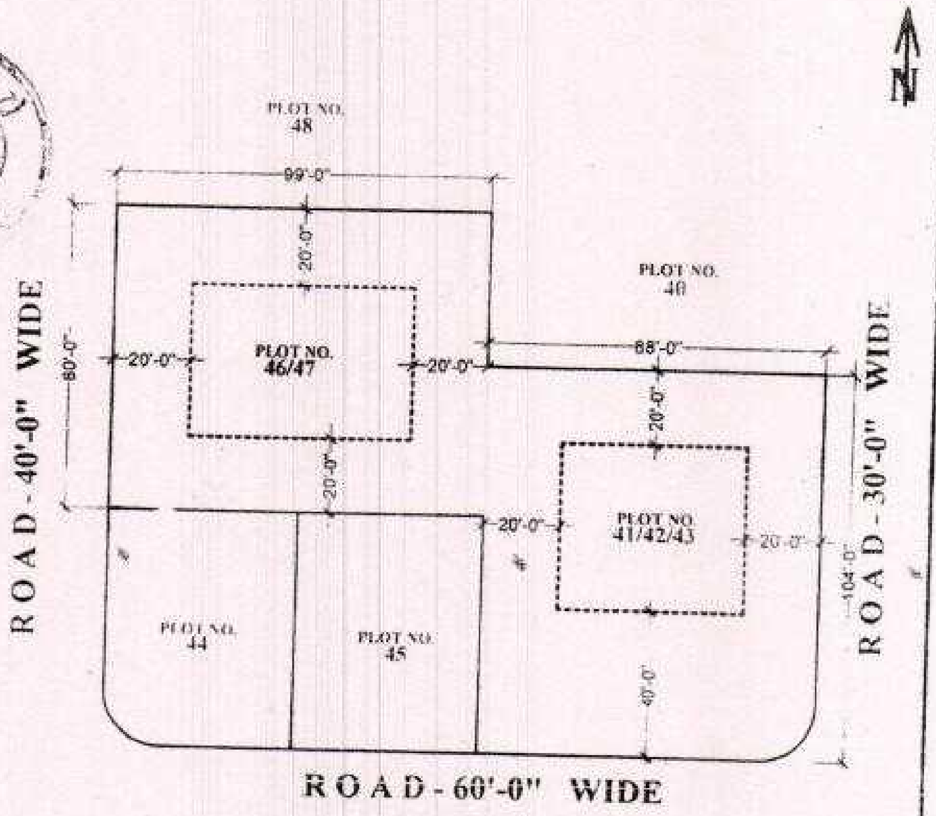

SITE ENGINEER

ATP

DY.COMMISSIONER

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
JAIPUR

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

RECONSTITUTE SITE PLAN OF PLOTE NO. 41,42,43,46,47,IN SCHEME NO. 8 OF MAHARAJA GOPAL PURA GNSS.

PLOTE AREA=1891.39 SQ YAD(1581.87SQ M.)

PERCENTAGE OF CONST-AREA ,WITH IN SET BACKS.

FAR 1.33 STANDERED, 2.25 MAX.

HEIGHT AS PER BY LAWS 2010 REVISED 2012-2013 POINT NO.8.11

SCALE- 1" = 40 '

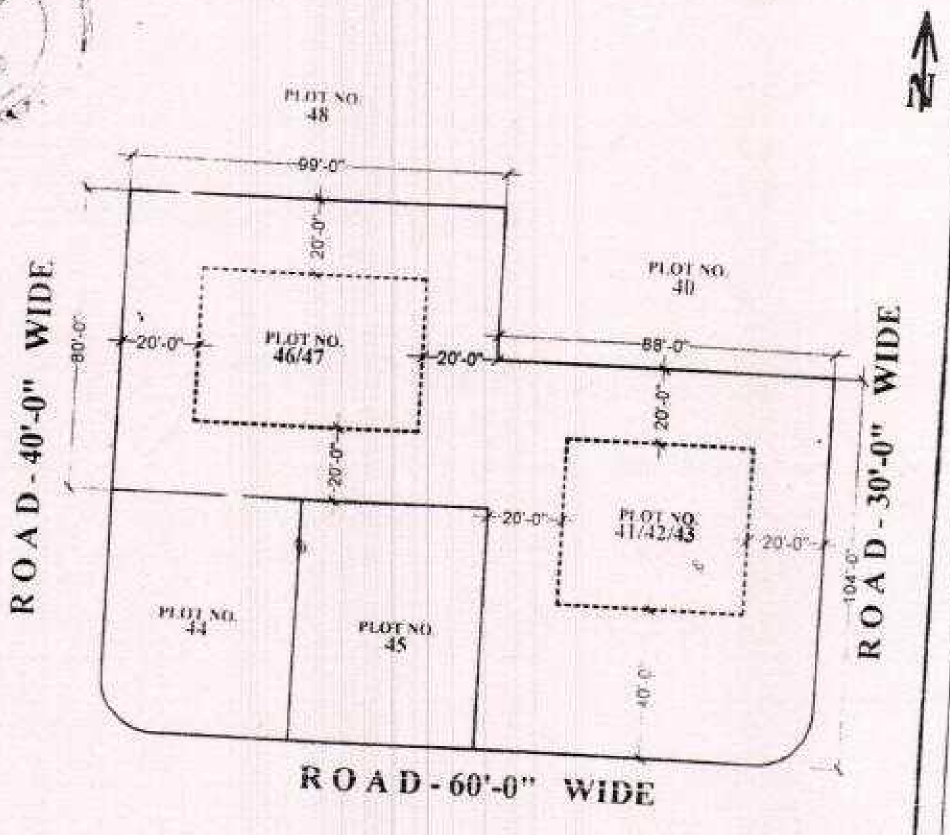

SITE ENGINEER

ATP

DY.COMMISSIONER

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

JAIPUR

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.1(290)नविवि/जयपुर/2014 जयपुर, दिनांकः 23 DEC 2014

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– महाराजा गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नंबर 8 के आवासीय पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 41, 42, 43 एवं 46 व 47 (कुल क्षेत्रफल 1891.39 वर्गगज) का पुनर्गठन किये जाने की स्वीकृति बाबत।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक जविप्रा/उपा–7/2014/डी–5440 दिनांक 3.9.2014 एवं डी–6746 दिनांक 25.11.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित किये जाने की शर्त पर महाराजा गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नंबर 8 के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 41, 42, 43 एवं 46 व 47 (कुल क्षेत्रफल 1891.39 वर्गगज) का आवासीय (फ्लैटस) प्रयोजनार्थ पुनर्गठन किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. पुनर्गठित भूखण्ड का मुख्य प्रवेश व निकास मार्ग 60 फीट चौडी सडक की ओर रखा जावेगा।
2. आवश्यक पार्किंग की पूर्ति नियमानुसार भूखण्ड के अन्दर ही सुनिश्चित की जावेगी।
3. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रस्तावानुसार अग्र सैटबैक 12 मीटर (60 फीट सडक की ओर) व अन्य सैटबैक 6 मीटर रखे जावे व अन्य मानदण्ड जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 (संशोधित 2012–13) के अनुसार रखे जावेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय